☏ 01472.255077

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एफ.सी.आई, गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का चित्तौड़/ सी.आई.–1243/1006

दिनाँक : 22.9.22

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा सुखपुरा पंप स्टोरेज परियोजना (2560 MW), ग्राम– सुखपुरा, गोरकिया, नाहरगढ, प्रतापपुरा, बोराव तहसील– रावतभाटा, जिला–चितौडगढ़ (राज.) में प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्तावित सुखपुरा पंप स्टोरेज परियोजना (2560 MW), से सम्बधित पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। परियोजना से सम्बधित विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA Report) में उपलब्ध है।

2 और चूंकि मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3 चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानो के अनुसरण में सम्पूर्ण पंप स्टोरेज परियोजना की जनसुनवाई हेतु इस आशय की सुचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4 उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एव संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयो में उपलब्ध है:–

1 जिला कलक्टर कार्यालय, चित्तौडगढ़।

2 क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़।

3 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

4 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

5 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, A-218 & B-216, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, झांलाना डुगंरी, जयपुर।

6 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौडगढ़।

7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ़।

8 उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला– चित्तौडगढ़।

अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित **जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान, ग्राम–प्रतापपुरा, तहसील–रावतभाटा, जिला–चित्तौडगढ (राज.)** में उपस्थित होकर अपने आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस सम्बंध में लिखित सुझाव / आपेक्ष इस सूचना कें प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़ में भी प्रस्तुत कर सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ को संदर्भित पत्र क्रमांकः / विकास / प–6 (2–1) 2022 / 631, दिनांक 22.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद, ग्राम– सुखपुरा, गोरकिया, नाहरगढ, प्रतापपुरा, बोराव तहसील– रावतभाटा, जिला–चितौडगढ़ (राज.), को भेजकर लेख है कि आप उक्त को (दिनांक 04.10.2022 से पूर्व) परियोजना क्षेत्र के एक राष्ट्रीय एव एक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें एवं बिन्दु संख्या 4 पर वर्णित क्रम संख्या 4 से 8 को ई.आई.ए प्रतिवेदन एवं संक्षिप्त कार्यपालकसार रिपोर्ट की एक प्रति अविलम्ब उपलब्ध करावें एवं समय–समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी निदेर्शिका की पालना सुनिश्चित करावें तथा बचाव के लिए आवश्यक कदम जनसुनवाई के दौरान अपनाये जाए।

क्षेत्रीय अधिकारी